डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 228] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2001—आश्विन 13, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-378/2001/वा.क./पांच (54).— छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/10-259/2001/वा.कर/पांच (28) दिनांक 21-6-2001 में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

संशोधन

उपरोक्त अधिसूचना में शब्दों "शासकीय राजपत्र में प्रकाशन दिनांक" के स्थान पर शब्द "1-4-2001" प्रतिस्थापित किया जावेगा.

Raipur, the 5th October 2001

NOTIFICATION

No. F-10-378/2001/CT/V (54).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) the State Government hereby makes the following amendment in this departmental notification No. F/10-259/2001/CT/V (28) dated 21-6-2001, namely :—

AMENDMENT

In the notification for words "the date of publication in Official Gazette" words "1st April 2001" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-379/2001/वा.क./पांच (55).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को उक्त अधिनियम के अधीन, कॉलम (3) में वर्णित कालावधि हेतु तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए प्रवेश कर के भुगतान से पूर्ण छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

क्रम (1)	माल का वर्ग (2)	कालावधि (3)	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है (4)
1	धान	4 सितम्बर 2001 से 31 मार्च 2002 (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए).	जबकि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के किसी स्थानीय क्षेत्र से क्रय किया जाये.

Raipur, the 5th October 2001

NOTIFICATION

No. F-10-379/2001/CT/V (55).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby exempts in whole the class of goods specified in column (2) of the schedule below, from payment of entry tax under the said Act for the period specified in column (3), subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said schedule :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Period (3)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (4)
1.	Paddy	4th Sept. 2001 to 31st March 2002 (Both days inclusive).	When purchased by a dealer registered under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) from any local area of Chhattisgarh State.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.